<u>लोक–सुनवाई का वृत</u>

मेसर्स अभिषेक कुमार सिंह, प्रो0 श्री अभिषेक कुमार सिंह, पिता श्री दयाशंकर सिंह, ग्राम+पो0–सरोजा, थाना–सिमरी बख्तियारपुर, जिला–सहरसा–852106 द्वारा चिलौनी एवं सुरसर नदी के मधेपुरा यूनिट–01 रेत घाट (बरियाही ब्लॉक–1, तेगरहा सिकियाहा ब्लॉक 02, रानीपट्टी ईस्ट ब्लॉक–03, रकियापट्टी ब्लॉक–04 एवं बिशनपुर अरार ब्लॉक–05, कुल क्षेत्रफल–10.47 हेक्टेयर) ग्राम–मौरा, श्रीपुर, बिशनपुर, झिटिकिया कलौतहा और बिशनपुर, जिला–मधेपुरा के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 19.09.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे मधेपुरा जिला के प्रखण्ड सभागार, कुमारखंड, जिला–मधेपुरा में लोक–सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2349/2023, के आलोक में श्री अरूण कुमार सिंह, अपर समाहर्त्ता, सहरसा (जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, द्वारा दिनांक 19.09.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखण्ड सभागार, कुमारखंड, जिला–मधेपुरा में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न **(अनुलग्नक–1)**

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण एवं दैनिक भास्कर के माध्यम से दिनांक 18.08.2023 को प्रकाशित की गयी थी (**प्रतिलिपि संलग्न**)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री सैन कुमार, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पूर्णियाँ द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोकहित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोकहित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक–सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमीत्त त्यागी ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा। वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 1 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (105 नं0) का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sustainable Sand Mining

Management Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवत हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री विजेन्द्र कुमार, ग्राम–टेगराहा, जिला–मधेपुरा।	इनके द्वारा पुछा गया कि मधेपुरा जिला के बालू खनन का पट्टा मधेपुरा जिला के निवासियों को नहीं देकर सहरसा जिला के निवासी को कैसे दिया गया है। खनन परियोजना में यहाँ के बेरोजगारों को क्या लाभ मिलेगा। जिला खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बालू खनन घाट का पट्टा खुली निबिदा के द्वारा दिया जाता है। जिसमें किसी भी जिला के व्यक्ति भाग ले सकते है। इस परियोजना में स्थानीय लोगों को योग्यतानुसार रोजगार मुहैया कराया जायेगा।
2.	श्री राजेश कुमार, पिता स्व0 दिनेश यादव, ग्राम–झिटिकिया कलौतहा, जिला–मधेपुरा।	इनके द्वारा पूछा गया कि परियोजना के दौरान कितना वृक्षारोपण किया जायेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना शुरू होते ही लगभग 105 पेड़ लगाये जायेंगे। इन पेड़ो की सुरक्षा एवं रख–रखाव परियोजना संचालक द्वारा किये जायेंगे। पेड़ हॉल रोड, गाँव के आस–पास इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे। पेड़ के रख–रखाव हेतु स्थानीय लोगों को ही माली के रूप में रखा जायेगा। जो व्यक्ति अपने रैयती जमीन में पेड़ लगाना चाहेंगे उनको संवेदक द्वारा पौधा मुफ्त में उपलब्ध कराया जायेगा। खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा सुझाव दिया गया कि वृक्षारोपण के दौरा छायादार एवं फलदार वृक्ष लगाया जाय।
3.	श्री परमानन्द कुमार, ग्राम–बिशनपुर, जिला–मधेपुरा	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू परिवहन के दौरान होने वाले प्रदूषण के रोकथाम के लिए क्या किया जायेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू से लदा गाड़ी तिरपाल से ढ़ककर ले जाया जायेगा। ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा। यातायात के नियमों को सुनिश्चित किया जायेगा। दिन में कम–से–कम 02 बार रास्ते पर जल–छिड़काव किया जायेगा, ताकि धुलकंण नहीं उड़े। बृक्षारोपण किया जायेगा।

4.	श्री मुकेश कुमार रमण, ग्राम–रहटा, जिला–मधेपुरा।	इनके द्वारा पूछा गया कि नदी के किनारे का किसान यदि रास्ता के लिए अपनी जमीन नहीं देगा, तो क्या किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि खनन घाट से मुख्य सड़क तक बालू का परिवहन के दौरान रास्ता हेतु यदि किसानो के निजी जमीन का इस्तेमाल होता है, तो यह किसानो के सहमति से इस्तेमाल किया जायेगा तथा इसका मुआबजा संवेदक द्वारा दिया जायेगा।

खनिज विकास पदाधिकारी, सहरसा द्वारा बताया गया कि खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए जिला खनिज फाउंडेशन में संचित राशि से इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय–जल इत्यादि पर खर्च करने का प्रावधान है। खनन परियोजना के कुल लागत का 2% राशि इसमें संचित होता है। इस राशि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्र के विकास किया जाता है। इस क्षेत्र के प्रभावित आमजनता भी अपना मांग रख सकती है, इस राशि से उसको पूरा करने का अनुशंसा किया जायेगा।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि बालू का उपयोग निर्माण कार्य में किया जाता है एवं राज्य का विकास होता है। विकास के साथ पर्यावरण पर भी ध्यान देना आवश्यक है। उनके द्वारा भी सुझाव दिया गया कि वृक्षारोपण के दौरान छायादार एवं फलदार वृक्ष यथा–पीपल, अमरूद, जामुन, आम, अर्जुन, बरगद आदि का पेड़ लगाया जायेगा।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

उनके द्वारा बताया गया कि अगर काम प्रारंभ होगा तो सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। गाँव की अर्थ–व्यवस्था में एवं प्रभावित क्षेत्र का विकास में तेजी आयेगी।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सक्षम प्राधिकार को अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी, पूर्णियाँ
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्

अपर समाहर्त्ता,
मधेपुरा

उपस्थिति सूची

मेसर्स अभिषेक कुमार सिंह, प्रो0 श्री अभिषेक कुमार सिंह, पिता श्री दयाशंकर सिंह, ग्राम+पो0–सरोजा, थाना–सिमरी बख्तियारपुर, जिला–सहरसा–852106 द्वारा चिलौनी एवं सुरसर नदी के यूनिट–01 रेत घाट (बरियाही ब्लॉक–1, तेगरहा सिकियाहा ब्लॉक 02, रानीपट्टी ईस्ट ब्लॉक–03, रकियापट्टी ब्लॉक–04 एवं बिशनपुर अरार ब्लॉक–05, कुल क्षेत्रफल–10.47 हेक्टेयर) ग्राम–मौरा, श्रीपुर, बिशनपुर, झिटिकिया कलौतहा और बिशनपुर, जिला–मधेपुरा के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 19.09.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे प्रखण्ड सभागार, कुमारखंड, जिला–मधेपुरा में आयोजित लोक–सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	ADM, Madhepura	समाहरणालय मधेपुरा	[signature] 19/09
2.	Sunil Kumar R.O, Purnea	B.S.P.C. Board	
3.	B.D.O. Kumarkhand	Block office Kumarkhand	[signature] 19/9/23
4.	DMO Madhepura	Madhepura	[signature] 19/09/2023
5.	Amit Tyagi	P&M Solution, Noida (Environmental Consultant)	
6.	VINEET KUMAR	MINES DEPTT.	[signature]
7.	मनोज कुमार	बरयाही	मनोज कुमार
8.	परमानंद साह	" "	परमानंद साह
9.	सुरेश साह	बरयाही	सुरेश साह
10.	सुभाष साह	बरयाही मधेपुरा	सुभाष साह

11.	दिनेश शाह	बरसाही मधेपुरा	दिनेश शाह
12.	रघुनी साह	रानी पट्टी मधेपुरा	रघुनी साह
13.	महेश्वरी साह	केरहैलाही मधेपुरा	महेश्वरी साह
14.	अजय साह	रानी पट्टी मधेपुरा	अजय साह
15.	Ranjeet Kumar	Rahta Madhepura	Ranjeet Kumar
16.	राजेश कुमार	किरतकिया मधेपुरा	राजेश कुमार
17.	प्रमानन्द	बिशनपुर अरार	प्रमानन्द
18.	राजीव कुमार सिंह	मधेपुरा कुमारखंड	राजीव कुमार सिंह
19.	रमेश कुमार	अररा मधेपुरा	रमेश कुमार
20.	लक्ष्मण प्रसाद यादव	रहटा मधेपुरा	लक्ष्मण प्रसाद यादव
21.	अमरेन्द्र चौधरी	रहटा मधेपुरा	अमरेन्द्र चौधरी
22.	भीवन कुमार सिंह	मुरलीगंज मधेपुरा	भीवन कुमार
23.	रमेश कुमार रमण	कुमारखंड रहटा मधेपुरा	[illegible]
24.	विनोद पासवान	लक्ष्मीपुर भगतनी मधेपुरा	विनोद पासवान
25.	उमेश यादव	ग्राम पो० सिंगार मधेपुरा	उमेश यादव
26.	वीरेन्द्र कुमार	ग्राम - हैंगापट्टी [illegible]	वीरेन्द्र कुमार

27.	अब्दुस्सलाम	सिंगारियाम (मधेपुरा)	[illegible]
28.	पवन कुमार	कुमारखण्ड (मधेपुरा)	Pawan kumar
29.	राजू रंजन	कुमारखण्ड मधेपुरा	राजू रंजन
30.	Abhishek kum.	Saharsa (Madhepura)	Abhish. k.
31.	Lalit Singh	madhepur	Lalit
32.	Abhishek Singh	T.V.D Kumarkhand	[illegible]
33.	उपेन्द्र यादव	लेलहा गोपालपुर मधेपुरा	उपेन्द्र यादव
34.	जय कुमार यादव	गोपालपुर मधेपुरा	जयकुमार यादव
35.	Jyotish Kumar	Indus mining, Patna	Jyotish kr
36.	ABHISHEK KUMAR SINGH	LESSE, SANDGHAT MADHEPURA	Abhishek kr. Singh
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			